रिव्यू 387-II/14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–अशोकनगर

सूरत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह सिक्ख, निवासी गोकलपुर तहसील ईसागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) ....आवेदक

विरूद्ध

1– प्रीतम पुत्र हल्लू चमार, निवासी–बड़ेरिया रूपनगर ईसागढ़ तहसील ईसागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर.

..........अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 3543/III/ 2013 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, ग्राम बहेरियापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 465/3 रकवा 1.186 हेक्टेयर अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व की भूमि है इस आधार पर उसके द्वारा एक आवेदन–पत्र कलेक्टर, जिला–अशोकनगर को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 476/1क/1 में से रकवा 0.209 का विनिमय किया जाये। इस भूमि का उपयोग वह खलियान आदि के लिये करता है एवं उसका अतिक्रमण है।

2– यहकि, कलेक्टर, जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण में विधिवत् जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन बुलाया गया तत्पश्चात् विनिमय का आवेदन–पत्र आदेश दिनांक 06.03.2006 से अमान्य किया गया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 247/05–06 प्रस्तुत की गई, जो पारित आदेश दिनांक 25.08.2006 से स्वीकार कर अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 465/3 रकवा 0.209 हेक्टेयर का शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 476/1क/1 में से 0.209 प्रस्तावित मानचित्र अनुसार विनिमय की स्वीकृति

विपरीत प्रकरण कमांक 3543–तीन/2013 निगरानी के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 17–12–2013 में स्पष्ट कर दिया गया है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 25–8–2006 के विरूद्व दिनांक 23–9–13 को अर्थात 7 वर्ष से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत निगरानी में हुये विलम्ब को क्षमा करने के समुचित आधार क्या हैं तथा आवेदक के अभिभाषक 7 वर्ष से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत निगरानी में हुये विलम्ब को क्षमा करने के कारणों का समाधान नहीं करा सके हैं, जिसके कारण आदेश दिनांक 17–12–13 पुनरावलोकन योग्य न होने से फेर–बदल की गुॅजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य